

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.



क्रि०न० - 06/2024

अनवान :-

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री प्रभुदयाल, जाति खाती, निवासी खचवाना तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र श्री दोलतराम, जाति खाती, निवासी खचवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश पुत्र श्री प्रभुदयाल, जाति जाट, निवासी खचवाना तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
3. शंभूदयाल पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
4. गायत्री पुत्री श्री प्रभुदयाल, जाति जाट, निवासी खचवाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
5. सुमित्रा पुत्री श्री प्रभुदयाल, जाति जाट, निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 15-05-24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बरानी के खाता संख्या 24/22 के मु०न० 19 के किला नं. 16, 17 प्रत्येक की 0.253 है०, किला नं. 24 की 0.0250 है०, किला नं. 25 की 0.253 है० कुल 0.7840 है० बरानी खातेदारी कृषि भूमि एवं चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 64/57 के मु०न० 21 के किला नं० 19/2 की 0.063 है०, मु०न० 24 के किला नं० 2/1 की 0.240 है०, किला नं० 2/2 की 0.013 है०, किला नं. 3/1 की 0.240 है० किला नं० 3/2 की 0.013 है०, मु०न० 26 के किला नं० 2, 3, 4, प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला नं० 5/1 की 0.228 है०, किला नं० 5/2 की 0.025 है०, किला नं० 6/1 की 0.228 है०, किला नं० 6/2 की 0.025 है०, किला नं० 7, 8, 9 प्रत्येक किला की 0.253 है०, किला नं० 10/1 की 0.227 है०, किला नं० 10/2 की 0.026 है० किला नं० 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253 है० किला नं० 15/1 की 0.228 है, किला नं० 15/2 की 0.025 है, किला नं० 16/1 की 0.0228 है०, किला नं. 16/2 की 0.025 है०, किला नं० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है किला नं० 25/1 की 0.228 है०, किला नं० 25/2 की 0.025 है, कुल 5.8820 है जिसमें नहरी 5.666 है०, गै०मु० रास्ता 0.091 है०, गै०मु० खाला 0.125 है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।



वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखारमत है।

अधिकारी (राजस्व,
भादरा)



13 है, मु० न० 26 के किला नं० 2, 3, 4, प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं० 5/1 की 0.228 है, किला नं० 5/2 की 0.025 है, किला नं० 6/1 की 0.228 है, किला नं० 6/2 की 0.225 है, किला नं० 7, 8, 9 प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं० 10/1 की 0.227 है, किला नं० 10/2 की 0.026 है, किला नं० 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं० 15/1 की 0.228 है, किला नं० 15/2 की 0.025 है, किला नं० 16/1 की 0.0228 है, किला नं० 16/2 की 0.025 है, किला नं० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं० 25/1 की 0.228 है, किला नं० 25/2 की 0.025 है, कुल 5.8820 है जिसमें नहरी 5.666 है, गै० मु० रास्ता 0.091 है, गै० मु० खाला 0.125 है खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 प्रभूदयाल की बजाए वादी सरजीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 प्रभूदयाल, प्रतिवादी संख्या 2 राकेश व प्रतिवादी संख्या 3 शम्भूदयाल को बहिस्सा बराबर अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। जमाबंदी में वर्णित खातेदारी भूमि गै० मु० खाला-रास्ता यथावत रहेगी। राजीनामा निर्णय का भाग पढ़ा जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया



(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला-हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी चन्देलिया आर.ए.एस

दि० न० -06/2024
अनवान :-

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री प्रभुदयाल, जाति खाती, निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. प्रभुदयाल पुत्र श्री दोलतराम, जाति खाती, निवासी खचवाना, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राकेश पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी खचवाना।
3. शंभूदयाल पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी खचवाना।
4. गायत्री पुत्री श्री प्रभुदयाल जाति जाट निवासी खचवाना।
5. सुमित्रा पुत्री श्री प्रभुदयाल, जाति जाट, निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ प्रकाश चंदेलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जून बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बारानी के खाता संख्या 24/22 के मु०न० 19 के किला नं. 16, 17 प्रत्येक की 0.253है०, किला नं. 24 की 0.025है०, किला नं. 25 की 0.253है० कुल 0.7840है० बारानी खातेदारी कृषि भूमि एवं चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 64/57 के मु०न० 21 के किला नं० 19/2 की 0.063है०, मु०न० 24 के किला नं० 2/1 की 0.240है०, किला नं० 2/2 की 0.013है०, किला नं. 3/1 की 0.240है० किला नं० 3/2 की 0.013है०, मु०न० 26 के किला नं० 2, 3, 4, प्रत्येक किला की 0.253है०, किला नं० 5/1 की 0.228है०, किला नं० 5/2 की 0.025है०, किला नं० 6/1 की 0.228है०, किला नं० 6/2 की 0.025है०, किला नं० 7, 8, 9 प्रत्येक किला की 0.253है०, किला नं० 10/1 की 0.227है०, किला नं० 10/2 की 0.026है० किला नं० 12, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० किला नं० 15/1 की 0.228है०, किला नं० 15/2 की 0.025है०, किला नं० 16/1 की 0.0228है०, किला नं. 16/2 की 0.025है०, किला नं० 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक किला की 0.253 है किला नं० 25/1 की 0.228है०, किला नं० 25/2 की 0.025है०, कुल 5.8820है० जिसमें नहरी 5.666है०, गै०मु० रास्ता 0.091है०, गै०मु० खाला 0.125है० खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 प्रभुदयाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 प्रभुदयाल की बजाए वादी सरजीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुदयाल, प्रतिवादी संख्या 2 राकेश व प्रतिवादी संख्या 3 शंभूदयाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। जमाबंदी में दर्ज खातेदारी गै०मु० खाला-रास्ता यथावत् भूमि यथावत् रहेगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-05-24..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S.
उपखण्ड जिला हनुमानगढ़
भादरा जिला हनुमानगढ़